

वरीय प्रभारी पदाधिकारी  
शाखा...

पत्रांक-7/विधि-14-03/2015 सा0990

4580

बिहार सरकार  
सामान्य प्रशासन विभाग

To all office Heads

All Bpos/As/SDOs/CDPOs

REG

G.P/PP

10/03/15

10/03/15

रामेश्वर प्रसाद दास,  
सरकार के उप सचिव।

सभी जिलाधिकारी।  
सभी जिलों के आरक्षी अधीक्षक।

पटना-15, दिनांक 25-3-15

विषय:-

प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने के संबंध में पटना हाई कोर्ट रूल्स, 1916 में  
किये गये संशोधन के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्रतिशपथ पत्र  
दाखिल करने के संबंध में पटना हाई कोर्ट रूल्स, 1916 में संशोधन कर व्यवस्था की  
गयी है कि पदाधिकारी अपने पदस्थापन के जिले में सरकारी अधिवक्ता (जी0पी0)  
अथवा लोक अभियोजक अथवा उच्च न्यायालय द्वारा ओथ कमिशनर के रूप में नियुक्त  
अधिवक्ता के समक्ष प्रतिशपथ पत्र दायर करने हेतु शपथ कर सकते हैं। इस आशय  
का बिहार गजट असाधारण अंक दिनांक 09.03.2015 की छायाप्रति सूचनार्थ एवं  
आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न है।

अनुलग्नक:-यथोपरि।

विश्वासभाजन

(रामेश्वर प्रसाद दास)  
सरकार के उप सचिव।

प्रतिशपथ  
में 19/3/15  
25/3/15

(2)

REGISTERED NO. PT.-40



# The Bihar Gazette

EXTRA ORDINARY

PUBLISHED BY AUTHORITY

18 FALGUNA 1936(S)  
(NO.PATNA 348) PATNA, MONDAY, 9TH MARCH 2015

PATNA HIGH COURT

No. 13292/2015

The 9th March 2015

ADDENDA AND CORRIGENDA  
TO  
PATNA HIGH COURT RULES, 1916  
(Fifth Edition)  
C.S. No. - 144

In Chapter III of Patna High Court Rules, 1916 following may be added after Rule 23 as its proviso:

"Provided that the affidavits of counter affidavits that are to be filed in the writ petitions or appeals arising therefrom to be filed in the High Court, may be sworn and subscribed by the Government Officers before the Government Pleader or Public Prosecutor who are hereby appointed as Oath Commissioner or before any Advocate so appointed by the High Court, in the district in which the officer who deposes the affidavit or counter affidavit, is working" subject to any specific direction to the contrary.

By Order of the Court,  
Sd./Illegible,  
Registrar General.


File No. - Misc. 03-2015/A.D. (Rules)

PUBLISHED AND PRINTED BY THE SUPERINTENDENT,  
BIHAR SECRETARIAT PRESS, PATNA.  
Bihar Gazette (Extra) 348-571+100-Egazette  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>


## जिला गोपनीय शाखा, मधेपुरा

ज्ञापांक.....991..... /गो०, मधेपुरा, दिनांक.11/०५/२०१५

- प्रतिलिपि : निदेशानुसार जिला स्तरीय सभी पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि : निदेशानुसार सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी /सभी अंचलाधिकारी /सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी /सभी प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी /सभी अनुमण्डल पदाधिकारी /जी०पी० /पी०पी० /प्रभारी पदाधिकारी, विधि शाखा, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि : निदेशानुसार जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं सभी संबंधितों को ई-मेल से भेजने हेतु प्रेषित।

  
प्रभारी पदाधिकारी,

जिला गोपनीय शाखा, मधेपुरा।

  
11/05/15

विद्यया ऽमृतमश्नुते

विद्यया ऽमृतमश्नुते

विद्यया ऽमृतमश्नुते  
विद्यया ऽमृतमश्नुते  
विद्यया ऽमृतमश्नुते  
विद्यया ऽमृतमश्नुते  
विद्यया ऽमृतमश्नुते  
विद्यया ऽमृतमश्नुते  
विद्यया ऽमृतमश्नुते  
विद्यया ऽमृतमश्नुते  
विद्यया ऽमृतमश्नुते  
विद्यया ऽमृतमश्नुते

(7)